# न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण **प्रकरण संख्या 08 / 2022**(GCMS : **2022/153**)

**रामकुमार पुत्र चानणराम जाति कुम्हार आयु 61 वर्ष निवासी पावनधाम कॉलोनी, वार्ड नं 27, महावीर कॉलोनी, श्रीगंगानगर**

**बनाम**

1. **राधेश्याम** पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी पावनधाम कॉलोनी, वार्ड नं 27, महावीर कॉलोनी, श्रीगंगानगर
2. **सुनील पुत्र** रामकुमार जाति कुम्हार निवासी पावनधान कॉलोनी, वार्ड नं. 27, महावीर कॉलोनी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**25.07.2022**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामकुमार एंव रेस्पोडेंट राधेश्याम एवं सुनील स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।**

**संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि :**

**प्रार्थी रामकुमार** ने रेस्पोडेंट 1 व 2 जो की अपीलांट के हकीकि पुत्र है, के खिलाफ एक प्रार्थना इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 16 के तहत इस कथन के साथ पेश किया था कि प्रार्थी 60 वर्ष का वृद्ध है पावनधान कॉलोनी, वार्ड नं 27, महावीर कॉलोनी का निवासी है, प्रार्थी के दो पुत्र राधेश्याम व सुनील जिनकी पढाई लिखाई व अन्य जरूरतों को प्रार्थी द्वारा मेहनत मजदूरी करके पूरी करता रहा है, राधेश्याम जो कि प्रोपर्टी डीलर का काम करता है व सुनील बिजली लाईट का कार्य करता है, प्रार्थी के साथ आए दिन बिना वजह तंग परेशान करके, गाली गलौच करते रहते है जिसके कारण प्रार्थी को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस घर में प्र[illegible] प्रार्थीगण निवास कर रहे है उक्त मकान नं. 60 पाव[illegible] पैमाइशी 28 गुणा 54 फीट जिसमें 6 कमरे बने हुए है, प्रार्थी ने मेहनत मजदूरी करके निज[illegible]द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

हुआ है, अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की पत्नी सरस्वती देवी को भी बहकावे में लेकर प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त मकान को दोनों पुत्रों के नाम करने के लिए उकसा रखा है व अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ बेवजह मारपीट करते है, प्रार्थी ने एक अन्य प्लाट जो उसके नाम से था किसी अन्य व्यक्ति को 29 लाख रूपये में बेचान किया था जिसके रूपये अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को बहला फुसलाकर अपने निजी काम के लिए ले लिये। अब प्रार्थी को ना तो खाना देते है ना ही घर में आदर सत्कार देते है, बेवजह लडाई झगड़ा करते रहते है व उक्त मकान के असल दस्तावेज जो अप्रार्थीयान के कब्जा में है जिसके लिए प्रार्थी ने दिनांक 13.05.2021 को पुलिस थाना सेतिया चौकी में प्रार्थना पत्र भी दिया था मगर कोई कार्यवाही नहीं की। अब प्रार्थीगण, प्रार्थी को आए दिन जान से मारने की धमकी देते है, स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम ये जानमाल का नुकसान करवा सकते है, अतः मकान खाली करवाया जावे, कागजात दिलाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा गलत तथ्यों पर जवाब पेश किया जिसमें यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त मकान प्रार्थी के नाम है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करते हुए आंशिक प्रार्थना पत्र स्वीकार करने व शेष की हद तक खारिज करने का आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

**अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील** के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में मकान का कब्जा दिलाने की हद तक प्रार्थना पत्र यह अंकित कर खारिज किया है कि अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसमें प्रश्नगत मकान उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति होना साबित हो, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब दिनांक 11.08.2021 में यह [illegible] किया है कि उसने जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया। [illegible] करवाया है तो रेस्पोडेंट व उनकी माता [illegible] के खिलाफ थाना पुलिस आदि में कार्यवाही करती, मगर इस प्रकार [illegible] कोई कार्यवाही करने का कथन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

किया है जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने झूठ का सहारा लिया है। मकान उनका खरीदशुदा होने के सम्बन्ध में कोई बैंक की पासबुक व मकान खरीदने के लिए राशि कहा से लाये के सम्बन्ध में कोई कथन किया है ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है। अतः इसका क्यास अप्रार्थीयान के खिलाफ लिया जाना चाहिए था, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश ना करने का कथन कर मकान का कब्जा दिलवाने की मांग की हद तक प्रार्थना को खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है।

**उनका आगे कथन था कि ना** तो रेस्पोडेंट ने जवाब के समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश किया ना ही अपीलांट द्वारा लगाये गये आरोप की मकान के कागजात रेस्पोडेंट के कब्जा में है, का कोई शपथ पत्र पेश कर खण्डन किया है, अतः जब मकान के कागजात ही रेस्पोडेंट के कब्जा मे है तो अपीलांट के द्वारा खरीद करने का कोई दस्तावेज पेश करना संभव ही नही था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह लिखकर मकान का कब्जा दिलाने की मांग गलत तौर पर खारिज की है कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की, अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह रेस्पोडेंट द्वारा कोई शपथ पत्र पेश कर मकान के कागजात उनके पास ना होने का कथन करते तभी यह विश्वास किया जा सकता था कि उनके पास कोई कागजात नहीं है, इस प्रकार जब यह तथ्य स्वीकृत है कि मकान जिसका कब्जा दिलाने की मांग की है, वह प्रार्थी के ही नाम है तो यह साबित था कि प्रार्थी अपीलांट ही उसका मालिक है।

**उनका आगे कथन था कि** जहां तक निर्वाह भत्ता 5—5 हजार के आधार पर 1500—1500 दिलाने का आदेश पारित किया है व शेष 3500—3500 रूपये की हद तक खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 [illegible] करता है व रेस्पोडेंट संख्या 2 बिजली का कार्य करता है तथा उसको अच्छी आय हो रही है। रेस्पोडेंट ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि व [illegible] कार्य करते है और उन्हें कितनी आय होती है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट ने झूठ का सहारा लिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**उनका आगे कथन था** कि अपीलांट एक वृद्ध व्यक्ति है, बीमार रहता है, पुत्र सेवा नहीं करते व अपीलांट की पत्नी को बहला फुसला रखा है तो कम से कम 10,000/– रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिलाना आवश्यक था क्योंकि आज के महंगाई के समय में जब खाद्य पदार्थों की कीमतें, सब्जियों, फल आदि की कीमते आसमान छू रही है तो 100 रूपये प्रतिदिन में एक वृद्ध व्यक्ति के लिए जीवनयापन करना व ईलाज आदि करवाना कतई संभव नही है, अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर उसे मकान का कब्जा दिलाया जावे व 5–5 हजार रूपये प्रत्येक रेस्पोडेंट से निर्वाह भत्ता राशि दिलवााई जावे।

**उनका आगे कथन था कि रेस्पोडेंट** ने अपीलांट के चरित्र पर कि वह शराबी, जुआरी व सट्टा करता है कतई गलत लांछन लगाये है तथा ना ही कोई गवाह, सबूत आदि पेश किया है, ना ही स्वयं का कोई शपथ पत्र पेश किया है।

**उनका आगे कथन था कि उसकी** अपील स्वीकार की जाकर प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय का मकान का कब्जा दिलाने की हद तक खारिज करने का आदेश दिया गया है, को निरस्त करने हुए, अपीलांट को मकान का कब्जा दिलाने तथा प्रत्येक रेस्पोडेंट से 5–5 हजार रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता राशि दिलाने का आदेश पारित किया जावे।

**इसके विपरीत अप्रार्थी राधेश्याम और सुरेन्द्र** ने कथन किया कि **अप्रार्थीगण दो भाई व तीन बहने** है जिनका लालन–पालन, पढाई–लिखाई आदि अप्रार्थीगण की माता सरस्वती देवी व दादा चानणराम के द्वारा की गई है तथा **अप्रार्थीगण की दो बड़ी ब[illegible]दी प्रार्थी के द्वारा की गई है परन्तु अप्रार्थीगण की [illegible] बहन की शादी माता सरस्वती देवी, दादा चानण राम व अप्रा[illegible]ण स्वयं द्वारा की गई है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**उनका आगे कथन था कि** प्रार्थी एक आदतन शराबी–कबाबी, जुआरी, सटोरिया व नशेड़ी प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति का बेचान कर अपनी नशे व जुअें की लत्तों को पूरा किया और प्रार्थी के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में आई रीको में चार दुकान साईज 10 गुणा 15 फुट व एसएसबी रोड, मीरा चौक, शिव मन्दिर के पास दो प्लॉट साईज 60 गुणा 50 फुट को लाखों रूपयें में बेचकर जुआ, सट्टा तथा शराब में उड़ा दिये। अप्रार्थीगण के पास जीप, ट्रैक्टर, ट्राली आदि जो साधन थे, जो पैतृक थे, उन्हें भी प्रार्थी द्वारा नाजायज जरूरतों को पूरा करने के लिए बेचान कर दिया।

**उनका आगे कथन था कि** अप्रार्थीगण के दादा के द्वारा प्रार्थी को एक प्लॉट चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 43 के भाग बी–।। पैमाईशी 45 गुणा 50 फुट जो नरेश सेतिया से दिनांक 22.06.1986 को खरीदकर दिया गया था। उक्त प्लाट को भी प्रार्थी द्वारा दो हिस्सों में बेचान कर दिया गया। पहला हिस्सा दिनांक 17.05.2010 को नौ लााख रूपये में रामी देवी पाहुजा को साईज 22.6 गुणा 50 फुट का बेचान कर दिया और शेष हिस्सा 11.3 गुणा 50 फुट दिनांक 31.07.2012 को बारह लाख साठ हजार रूपये में विजय सिंह पुत्र मेजर सिंह को बेचान कर दिया गया । उक्त तमाम राशि भी प्रार्थी द्वारा नशे, सट्टा, जुआ आदि में खर्च कर दी और अप्रार्थीगण व उनकी माता के उक्त राशि में एक पैसा भी नहीं दिया।

**उनका आगे कथन था कि** उक्त के अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा अपनी पैतृक सम्पत्ति चक 8ए लभुवाला गांव 60 गुणा 45 फुट का कोर्नर का प्लॉट जो दिसमबर 2020 [illegible] बेचान कर दिया और उक्त सारी राशि शराब, [illegible] अप्रार्थीगण व उनकी माता व दादा द्वारा काफी [illegible] प्रार्थी अपनी आदतों से भी बाज नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आ रहा और वर्तमान में अप्रार्थीगण जिस मकान में निवास कर रहे है उसे बेचने की फिराक में है और वह राशि भी अपने नशे आदि में उड़ाना चाहता है।

**उनका आगे कथन था कि** अप्रार्थीगण के दादा चानणराम, माता सरस्वती देवी व दो अप्रार्थीगण के द्वारा मेहनत मजदूरी कर उक्त कमान 60 पावन धाम कॉलोनी, वार्ड नं 27, साईज 28 गुणा 54 फुट में सम्पूर्ण निर्माण करवाया है तथा पूर्व में उक्त मकान में दो ही कमरे बने हुए थे परन्तु सन् 2020 में अप्रार्थीगण व उसकी माता तथा दादा के द्वारा मेहनत मजदूरी कर 4 अन्य कमरों का निर्माण करवया गया।

**उनका आगे कथन था कि उक्त मकान में अप्रार्थीगण की पत्नियां, बच्चे, अप्रार्थीगण की माता सरस्वती देवी, दादा चानण राम सभी निवास कर रहे है जबकि प्रार्थी हफ्ते दस दिनों में दो तीन दफा शराब के नशे में धुत होकर आता है और अप्रार्थीगण को गाली गलौच करता है तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और यह भी कहता है कि मुझे शराब व जुअे के पैसे दो अन्यथा मैं उक्त मकान को बेचकर तुम सब लोगों को बेघर कर दूंगा।**

**उनका आगे कथन था कि** अप्रार्थीगण द्वारा कई बार पुत्र का दायित्व निभाते हुए प्रार्थी को उसकी नाजायज जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे देते है **ताकि परिवार व समाज में अप्रार्थीगण की, उनकी माता की व दादा की इज्जत बनी रहें। पूरे मोहल्ले में व रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति अप्रार्थीगण को गलत नहीं कहता बल्कि प्रार्थी को परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार व मोहल्लेवाले शराबी, जु[illegible] है और प्रार्थी से दूर रहते है। इसके अलावा भी** जहां तक [illegible] विश्वास है कि प्रार्थी के बैंक खातें में आज भी लाखों रुपये जमा है। यदि उक्त मकान से अप्रार्थीगण, उनके बच्चों, माता सरस्वती देवी व दादा चानणराम को बेदखल किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

है तो ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और पूरा परिवार ही बिखर जायेगा। उक्त तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त मकान से अप्रार्थीगण, उनके बच्चों, माता सरस्वती देवी व दादा चानणराम को बेदखल न किया जावे।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थी रामकुमार एक वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थीगण राधेश्याम और सुनील उनके पुत्र है। **अपीलार्थी ने अपने मकान वार्ड नं. 27, महावीर कॉलानी, श्रीगंगानगर का कब्जा दिलाने व प्रत्येक रेस्पोडेंट से 5–5 हजार रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता** दिलवाने हेतु माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 18.05.2022 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

> अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पुत्र है। अतः अप्रार्थीगण का दायित्व बनता है कि वह प्रार्थी (अपने पिता) का भरण पोषण करें। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए माह जून 2022 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 1500/– रूपये अखरे एक हजार पांच सौ रूपये प्रत्येक अप्रार्थी, प्रार्थी को अदा करेगा। उक्त राशि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी जिसके लिये प्रार्थी अपना बैंक खाता अप्रार्थी को अपने स्तर से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थी को तंग व परेशान करने से निषेध करें।
>
> -sd-
> (रामेश्वर कुमार मीना)
> उपखण्ड मजिस्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर** के उक्त निर्णय दिनांक 18.05.2022 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2022 को निरस्त कर मकान का कब्जा दिलवाने एवं रेस्पोडेंट से 5–5 हजार रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता राशि दिलवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

**माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:**

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

**अपीलार्थी ने कथन किया है** कि उक्त विवादित मकान नम्बर 60, पावनधाम कॉलोनी वार्ड नं 27 पैमाईशी 28 गुणा 54 फुट जो कि अपीलार्थी रामकुमार के नाम से है तथा जिसमें **अपीलार्थी के पिता चारणराम, अपीलार्थी की पत्नी सरस्वती देवी तथा अपीलार्थी के पुत्र (रेस्पोडेंट) राधेश्याम व सुनील निवास करते है।** अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित मकान उसके(अपीलार्थी रामकुमार के) नाम से है जिसे रेस्पोडेंट ने भी स्वीकार किया है किन्तु रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित मकान अप्रार्थीगण के दादा चानण राम, माता सरस्वती देवी और रेस्पोडेंट द्वारा [illegible] निर्माण करवाया है। परन्तु **पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज [illegible] है जिससे ज्ञात होता हो कि मकान किसके नाम से है तथा उक्त विवादित मकान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**विचाराधीन प्रकरण में** अपीलार्थी ने अपने पुत्र राधेश्याम व सुनील के विरूद्ध माता पिता एवं विरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रस्तुत कर **विवादित** मकान नम्बर 60, पावनधाम कॉलोनी वार्ड नं 27 पैमाईशी 28 गुणा 54 फुट **का कब्जा दिलवाने की प्रार्थना के साथ** पेश किया है तथा रेस्पोडेंट से 5—5/— हजर रूपये **के भरण पोषण की मांग भी की हैं साथ ही** अपीलार्थी ने विचाराधीन प्रकरण अपने पुत्रों राधेश्याम व सुनील के विरूद्ध पेश किया है जबकि उसकी तीन पुत्रियां भी है। अपीलार्थी ने अपनी पुत्रियों से भी किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग भी नहीं की है।

**वर्तमान में विचाराधीन प्रकरण** में **अपीलार्थी ने उक्त विवादित मकान नम्बर 60, पावनधाम कॉलोनी वार्ड नं 27 पैमाईशी 28 गुणा 54 फुट दिलाने की माग की है, जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिए अपीलार्थी को उक्त विवादित दुकान का कब्जा दिलाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।** अपीलार्थी उक्त विवादित सम्पत्ति हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

**इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि** क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्रों रेस्पोडेंट राधेश्याम और सुनील से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

> **4. माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण—**
>
> (1) माता— पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन से या अपनी स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण—पोषण करने में असमर्थ है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उसी अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार** माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, **यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **9. भरण–पोषण हेतु आदेश –**
>
> (1) यदि सन्तान या सम्बन्धी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, **ऐसी सन्तानों या सम्बन्धियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण हेतु ऐसी मासिक दस पर मासिक भत्ता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय–समय से निर्देश दे।**
>
> (2) अधिकतम भरण–पोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, जो **प्रतिमास दस हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।**

अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2022 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से 5–5 हजार रूपये भरण पोषण की मांग की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पुत्र है और अप्रार्थीगण का अपने पिता (प्रार्थी/अपीलार्थी) के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है। इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 1500—1500/— रूपये (अखरे रूपये एक हजार पांच सौ मात्र) प्रत्येक अप्रार्थी (रेस्पोडेंट), प्रार्थी को अदा करेगा। अप्रार्थी, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:40 IST
Reason: SelfAttested